सं० फा० 2(24)-ई०-III(ए)/70

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, 13 जनवरी 1971.

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- केन्द्रीय सेवा, श्रेणी-1 के उन पदोन्नत अधिकारियों को अतिरिक्त वेतन की मंजूरी, जो उप महालेखाकार अथवा उसके समकक्ष पदों पर नियुक्त हैं।

निम्नलिखित स्थायी केन्द्रीय सेवाओं की श्रेणी-1 के लिए पूर्व में निर्धारित 350-350-380-30-590-द० रो०-30-770-40-850 रुपये के कनिष्ठ वेतनमान और 600-40-1000-1000-1050-1050-1100-1100-1150 रुपये के वरिष्ठ वेतनमान के स्थान पर 1 जुलाई 1959 से रु० 400-400-450-30-510-द० रो०-700-40-1100-50/2-1250 का एक ही वेतनमान रखा गया है:

(क) भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा सेवा

(ख) भारतीय सीमाशुल्क सेवा

(ग) आयकर सेवा

(घ) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सेवा

(ङ) भारतीय रक्षा लेखा सेवा।

नियमों में यह व्यवस्था है कि पांच वर्षों की सेवा के बाद, अधिकारी का वेतन बढ़ाकर रु० 700.00 कर दिया जाना चाहिये, जिससे वेतन में रु० 100.00 की तत्काल वृद्धि मिलती है।

2. परन्तु श्रेणी-II से पदोन्नत होकर श्रेणी-1 में आए हुए श्रेणी-II के अधिकारियों को इस व्यवस्था में कोई लाभ नहीं पहुंचता, क्योंकि इस प्रकार की पदोन्नतियां आमतौर पर उस समय होती हैं जब पदोन्नत अधिकारी

(कृ० पृ० उ०)

का मूल वेतन पहले ही रू० 510.00 के स्तर से बहुत अधिक हो चुका होता है, और श्रेणी-1 की सेवा में पदोन्नति होने पर उसका वेतन प्रतिमास रू० 700.00 अथवा उससे अधिक निर्धारित किया जाता है। इस आशय के निवेदन प्राप्त हुए हैं कि पदोन्नत अधिकारियों को भी उस स्थिति में वेतन में कुछ वृद्धि मिलनी चाहिये जब वे आम तौर पर वरिष्ट वेतनमान के अधिकारियों के लिये सामान्यत: निर्धारित कार्यभार संभालने के उपयुक्त बन जाते हैं। वर्तमान स्थिति दोषपूर्ण है क्योंकि ऐसे पदोन्नत अधिकारियों को वही वेतन और वेतनमान मिलता है, चाहे वे एकल-प्रभारी कनिष्ठ पदों पर कार्य करते हों अथवा समूह-प्रभारी वरिष्ट पदों पर कार्य करते हों।

3. उप महालेखाकार अथवा उसके समकक्ष वरिष्ट पदों पर अपेक्षाकृत अधिक जिम्मेदारी निभाने के कारण ऐसे पदोन्नत अधिकारियों को कुछ विशेष वेतन देने अथवा मूल वेतन में कोई वृद्धि देने का प्रस्ताव कुछ समय से सरकार के विचाराधीन था। विचार करने के बाद, राष्ट्रपति जी ने निर्णय किया है कि भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा सेवा, भारतीय रक्षा लेखा सेवा और भारतीय सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सेवा में श्रेणी-II से श्रेणी-1 सेवा में 1 जुलाई 1959 के बाद पदोन्नत अधिकारियों को उनके उप महालेखाकार अथवा उसके समकक्ष पद पर नियुक्त किये जाने पर 40-40 रू० की दो अतिरिक्त वेतन-वृद्धियां दी जायेंगी। परन्तु, समय-मान में उनकी वेतन-वृद्धि की सामान्य तारीख, वही रहेगी जो अतिरिक्त वेतनवृद्धियां नहीं मिलने की हालत में रहती। जो अधिकारी इस आदेश के जारी होने से पूर्व समेकित वेतनमान में उप महालेखाकार अथवा उसके समकक्ष पद पर पदोन्नत किये गये हों, उनके मामले में उनकी ऐसी नियुक्ति की तारीख से सैद्धान्तिक तौर पर दो अतिरिक्त वेतन-वृद्धियां देकर उनका वेतन एतदनुसार निर्धारित कर दिया जाना चाहिये। ऐसी पदोन्नति की तारीख को जो अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर थे उनके मामले में वेतन का नियतन उस तारीख से किया जायगा, जिस तारीख को वे प्रतिनियुक्ति पर नहीं जाने की हालत में उप महालेखाकार अथवा उसके समकक्ष पद पर नियुक्त किये गये होते।

(कृ० पृ० उ०)

4. ये आदेश 1 अप्रैल 1969 से लागू होंगे और उन अधिकारियों के सम्बन्ध में लागू होते है जो उस तारीख को उप महा लेखाकार अथवा उसके समकक्ष पद पर नियुक्त थे अथवा नियुक्त रहे होते ; तथा जो 1 अप्रैल 1969 के बाद उप महालेखाकार अथवा उसके समकक्ष पदों पर नियुक्त किये जायेंगे ; परन्तु उस तारीख से पहले की कोई बकाया रकम देय नहीं होगी ।

5. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा सेवा में कार्य कर रहे अधिकारियों का सम्बन्ध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के साथ परामर्श करके जारी किये गये हैं ।

कृपा सिंह

(कृपा सिंह)
उप सचिव, भारत सरकार.

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों|विभागों आदि को ।

सं० फा० 2(24)-ई III(ए)|70

प्रतिलिपि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को प्रेषित ।

(प,स,ब)